

Court No. - 13**Case :-** CRIMINAL APPEAL No. - 1721 of 2024**Appellant :-** Surajdeen Pasi @ Suraj Deen**Respondent :-** State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And Another**Counsel for Appellant :-** Shyam Bahadur**Counsel for Respondent :-** G.A.**Hon'ble Saurabh Lavania,J.**

1. Supplementary affidavit filed today, is taken on record.
2. Heard learned counsel for the appellant, learned AGA for the State and perused the record.
3. By means of instant appeal preferred under Section 14-A(1) of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (in short "SC/ST Act"), the appellant has assailed the order dated 03.05.2024 passed by Special Judge SC/ST (P.A.) Act, District Sultanpur (in short "trial court"), in exercise of Power under Section 203 Cr.P.C., whereby, the trial court dismissed the Criminal Case No. 189 of 2023.
4. Brief facts of the case are to the effect that the FIR No. 392 of 2019 Police Station Musafirkhana, District Amethi of the appellant was lodged on 14.10.2019 in compliance of order of court concerned dated 13.07.2019 on an application dated 12.07.2019 preferred by appellant.
5. In nutshell, allegations against the opposite party no.2 namely Suresh Kumar Trivedi are that with permission of appellant the opposite party no.2 was managing the affairs of Gas Agency, which was allotted to the appellant in the year 2003, including related to balance sheet, ITR etc. and in relation to the same the signed cheques of appellant were always available with the opposite party no.2 and the opposite party no.2 misused his position and signed

cheques for illegal gains and on being opposed the appellant was abused by the opposite party no.2 and he also made casteiest remarks against the appellant and in this view of the matter the FIR No. 392 of 2019 was lodged under Sections 420/467/ 468/471/ 504/ 506 IPC and 3(1)(द)/3(1)(ध) SC/ST Act.

6. Thereafter, the investigation was carried out and after completion of investigation the final report no. 26/2023 was submitted by the Investigating Officer, which reads as under:-

"श्रीमान् जी मु० अ० सं० 283/19 धारा 420/467/468/471/504/506 भा०द०वि० व 3(1) द, ध एससीएसटी एक्ट थाना मोहनगंज अमेठी में पंजीकृत होकर घटना स्थल थाना क्षेत्र मुसाफिरखाना का पाये जाने पर अभियोग उपरोक्त नियमानुसार ट्रान्सफर होकर थाना मुसाफिरखाना में मु० अ० सं० 392/19 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि व 3(1) द, ध एससीएसटी एक्ट में पंजीकृत होकर विवेचना मेरे पूर्वाधिकारी श्री सूक्ष्म प्रकाश द्वारा प्रारम्भ किया गया उनके स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त अभियोग उपरोक्त की विवेचना मुझ क्षेत्राधिकारी को प्राप्त हुई। अब तक की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य से व आदेश मा० न्यायालय से विदित हुआ कि वादी मुकदमा श्री सूरजदीन उपरोक्त व विपक्षी सुरेश कुमार त्रिवेदी के मध्य आशीष मेसर्स गैस एजेन्सी सहमति से काफी समय पूर्व मे ली गयी थी, वादी मुकदमा की माली हालत ठीक न होने के कारण एजेन्सी में लगने वाले समस्त व्यय राशि को विपक्षी पक्ष सुरेश कुमार त्रिवेदी द्वारा वाहन किया जा रहा था वर्ष 2019 में दोनो पक्षों के मध्य पैसे के लेन देन का विवाद प्रकट हुआ, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 20.06.2019 को अपने गैस एजेन्सी पर एकाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला गया तो विपक्षी पक्ष द्वारा अपने किये गये निवेश की धनराशि मांगने पर वादी मुकदमा ने विपक्षी पक्ष को 03 चेक दिये गये थे, जो खाते मे पूर्ण बैलेन्स न होने के कारण बाऊन्स हो गये, जिस पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा लीगल नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से वादी मुकदमा को भेजा गया था जिससे खिन्न होकर वादी मुकदमा द्वारा बढ़ा चढ़ा कर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। वादी मुकदमा अंकित आरोप के सम्बन्ध में कोई ठोस अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध धारा 420/467/468/471/504/506 भा०द०वि० व 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्ट का पर्याप्त साक्ष्य न पाये जाने के कारण साक्ष्य के अभाव में विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या B 26 दिनांक 0.03.2020 समाप्त की जाती है। मा० न्यायालय से अनुरोध है कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत करने की कृपा की जाय। "

7. According to the final report financial aid was provided to the appellant by opposite party no.2 to get, establish and run the Gas Agency and the financial dispute between the appellant and opposite party no.2 arose in the year 2019 and for this reason the appellant took charge of the Gas Agency on 20.01.2019 and provided three cheques to opposite party no.2 to discharge his liability and as the cheques were bounced, the opposite party no.2 sent the notice and therefore, the FIR was lodged and the appellant failed to provide documentary evidence and after observing herein before the Investigating Officer, submitted the Final Report.

8. It is to be noted that the cheques were issued on 21.06.2019, 22.06.2019, 24.06.2019, and thereafter the notice dated 05.07.2019 for instituting the proceedings under the Negotiable Instrument Act (in short 'N.I.Act'), was given in respect of cheque no. 297701 of Bank of India, Branch Tiloi District Amethi, which was bounced on 03.07.2019.

9. After the above, the FIR No. 392 of 2019 was lodged on 14.10.2019 in compliance of order dated 13.07.2019 passed on the application of the appellant dated 12.07.2019, as appears from the record.

10. Upon notice on final report, the appellant filed the protest petition, which was treated as complaint case and in terms of Sections 200 and 202 Cr.P.C. statements were recorded and thereafter the trial court dismissed the complaint case vide order dated 03.05.2024. The order impugned dated 03.05.2024, being relevant, on reproduction reads as under:-

"पत्रावली आज तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी सूरजदीन पासी द्वारा परिवाद पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि प्रार्थी को आरक्षित कोटे में मुसाफिरखाना में गैस एजेन्सी मिली है, जो कि आशीष गैस सर्विस के नाम से मुसाफिरखाना में है, जिसका प्रार्थी वितरक (मालिक) उक्त गैस एजेन्सी की देखभाल व संचालन सन 2003 से प्रतिवादी सुरेश कुमार द्विवेदी पुत्र श्री स्व० श्री देवनरायन त्रिवेदी पुत्र श्री स्व० श्री देव नरायन त्रिवेदी निवासी ग्राम व पोस्ट मजरे कुटमरा थाना मोहनगंज तहसील तिलोई जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश कर रहे थे, जिसका चालू खाता प्रतिवादी के तिलोई परिसर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसका खाता संख्या 4505009300000035 है, जिसके संचालन हेतु गैस एजेन्सी से सम्बन्धित प्रपत्र व प्रार्थी की हस्ताक्षर की हुयी चेक (चेकबुक) उक्त सुरेश कुमार त्रिवेदी के पास रहती थी, जिसका उपयोग संचालन के लिए सुरेश कुमार त्रिवेदी किया करते थे एवं गैस एजेन्सी की बैलन्स सीट एवं आईटीआर प्रार्थी के बिना जानकारी के उक्त प्रतिवादी बनवाया करता था, प्रार्थी को प्रतिवादी सुरेश कुमार त्रिवेदी के ऊपर कोई शंका नहीं थी परन्तु सीट व आईटीआर में गलत तरीके लिखा पढ़ी करवाया करता था। जब प्रार्थी को इस बात की जानकारी हुई तो प्रार्थी ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में किया, जिसकी जांच सीओ मुसाफिरखाना को मिली, जांच में पाया गया कि प्रतिवादी द्वारा जो कर्ज प्रार्थी के उपर दर्शाया गया है वह गलत है। प्रार्थी के उपर प्रतिवादी का कोई कर्ज नहीं है, अब प्रार्थी को प्रतिवादी के उपर शंकर होने लगी तो प्रार्थी अलग बैंक में अपनी गैस एजेन्सी का खाता खोलवाने का प्रयास करने लगा एवं बैंक आफ बड़ौदा शाखा मुसाफिरखाना में खाता खोलवाने का प्रयास करने लगा एवं बैंक आफ बड़ौदा शाखा मुसाफिरखाना में खाता खोलवा लिया एवं गैस एजेन्सी का संचालन खुद अपनी देख-रेख में दिनांक 20.06.2019 से करने लगा एवं प्रतिवादी से अपनी हस्ताक्षरित की हुयी चेके(चेकबुक) व गैस एजेन्सी से सम्बन्धित प्रपत्र वापस लेने गया तो प्रतिवादी ने गाली देकर बात किया और जान माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए कहा तुमको एजेन्सी चलाने नहीं देंगे। हम तुमको बरबाद कर देंगे एवं गाली देकर भगा दिया। प्रतिवादी ने प्रार्थी की हस्ताक्षर युक्त चेको का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से चेके भरकर

प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने तिलाई स्थित बैंक आफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक तिलोई के खातों में लगाकर व चेके बाउन्स कराकर प्रार्थी को धनराशि रु0 7449933 रुपये की भरपायी करने के लिए नोटिस भेजवा दिया। जबकि प्रार्थी ने प्रतिवादी से कोई लोन व उधार धनराशि नहीं लिया है। प्रतिवादी भविष्य में भी चेकों का दुरुपयोग कर सकता है व अन्य लोगों से मिलकर करा सकता है। प्रतिवादी और भी निम्नलिखित फर्मों का संचालन अपनी सरहंगी के बल पर करता है।

परिवादी सूरजदीन पासी द्वारा धारा 200 दं0 प्र0 सं0 के बयान में सशपथ कथन किया है कि मुझे वर्ष 2003 में गैस एजेन्सी मिली थी, ऐसा कुछ नहीं है कि सन 2019-2020 में मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी हो। यह कहना गलत है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण विपक्षी सुरेश कुमार द्वारा कोई गैस एजेन्सी का खर्चा वहन किया गया हो। सन 2019 में मेरे व सुरेश कुमार के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। गैस एजेन्सी अभी भी मेरे पास है। विपक्षी सुरेश कुमार प्रबन्धक थे। आई0टी0आर0 का काम देखते थे, इसीलिए तीन चेक मैंने इन्हें दिया था। यह तीनों चेक मैंने गैस सिलेण्डर मंगवाने के लिए दिया था। कूटरचित ढंग से ब्लैंक हस्ताक्षरित चेक दिया था। लखनऊ प्लोट से गैस आती थी जब चेक दिया था तब मुझे पता था कि चेक कहां से आयेगी। इसके बावजूद चेक पर चेक की धनराशि प्राप्त करने वाले का नाम मैंने नहीं लिखा। यह कहना गलत है कि विपक्षी सुरेश कुमार से मैंने कुछ धनराशि उधार ली थी, उसी के भुगतान हेतु चेक दिया था। मेरे व विपक्षी सुरेश कुमार के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद है, इसीलिए मैंने यह मुकदमा किया। मुझे दिनांक 20.06.2019 को शाम चार बजे सुरेश कुमार त्रिवेदी ने जातिसूचक गाली गलौज दिया व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये और एजेन्सी का काम करने से मना कर दिया। इस घटना को वहां पर मौजूद बृजेश कुमार मिश्रा, गिरजा शंकर यादव, जयकरन यादव आदि स्टाप के लोगों ने देखा।

साक्षी पी0डब्लू01 बृजेश कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में कहा है कि मैं आशीष गैस सर्विस मुसाफिरखाना, अमेठी में प्रबंधक हूं, इस गैस एजेन्सी में मैं सन 2013 से प्रबंधक के पद पर हूं, इस एजेन्सी के प्रोपराइटर सूरजदीन पासी है। जब मेरी नियुक्ति इस एजेन्सी में हुयी थी, उस समय इस एजेन्सी की देख-रेख सुरेश कुमार त्रिवेदी करते थे। सुरेश कुमार त्रिवेदी इस गैस एजेन्सी का सारा कार्य देखते थे, गैस एजेन्सी पर प्राप्त होने वाली धनराशि कैशियर प्राप्त करता था और वह पैसा फर्म के खाते में पंजाब नेशनल बैंक तिलोई में जमा होता था। सन 2019 तक गैस एजेन्सी का पैसा पंजाब नेशनल बैंक तिलोई में जमा होता था, सन 2019 के बाद बैंक आफ बड़ौदा शाखा मुसाफिरखाना में जमा होता है। सन 2019 में परिवादी सूरजदीन तथा सुरेश कुमार के बीच मतभेद हो गया तब से सुरेश कुमार त्रिवेदी इस एजेन्सी पर नहीं आये और न ही एजेन्सी का कोई कार्य किये। सन 2019 में सूरजदीन पासी इस एजेन्सी का सारा काम बैंक आदि का काम स्वयं देखते हैं। इसी प्रकार कथन पी0डब्लू02 तुंगनाथ तिवारी, पी0डब्लू03 देवलाल यादव, पी0डब्लू04 त्रियुगी नारायन एवं पी0डब्लू05 रतीपाल ने अपने-अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा परिवादी सूरजदीन के बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा उसकी ओर से परीक्षित साक्ष्य पी0डब्लू01 के रूप में बृजेश कुमार, पी0डब्लू02 के रूप में तुंगनाथ तिवारी, पी0डब्लू03 के रूप में देवलाल यादव, पी0डब्लू04 के रूप में त्रियुगी नारायन एवं पी0डब्लू05 के रूप में रतीपाल को धारा 202 दं0प्र0सं0 के बयानों का परिशीलन किया, जिसमें आवेदक द्वारा विपक्षी पर चेकबुक, बैलेंस सीट व आई0टी0आर0 इत्यादि में कूटरचना करना कहा गया है। जबकि परिवादी ने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया है कि सन 2019 में मेरे व सुरेश कुमार के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ। वहीं परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षियों ने भी अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि वादी सूरजदीन तथा सुरेश कुमार के बीच मतभेद हो गया तब से सुरेश कुमार त्रिवेदी इस एजेन्सी पर नहीं आये और न ही एजेन्सी का कोई कार्य किये। पैसों की कूटरचना करने या उसके साथ फ्राड करने का कोई कथन परिवादी ने अपने बयान में नहीं किया है। मात्र यह कहा है कि मैंने गैस सिलेण्डर मंगवाने के लिए ब्लैंक हस्ताक्षरित चेक दिया था, लखनऊ प्लोट से गैस आती थी जब चेक दिया था तब मुझे पता था कि चेक कहां से आयेगी। इसके बावजूद चेक की धनराशि प्राप्त करने वाले का नाम मैंने नहीं लिखा। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि परिवादी के साथ विपक्षी द्वारा किस प्रकार की कूटरचना एवं फ्राड किया गया। परिवादी एवं उसकी ओर से परीक्षित साक्षियों के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र परिवादी द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा प्रस्तुत किया गया है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों के बयानों का परिशीलन किया, जिसमें साक्षियों द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2000 में आई0बी0पी0 कम्पनी द्वारा विज्ञापन हुआ था कि मुसाफिरखाना कस्बे में एससी कोटे में गैस एजेन्सी जारी होनी

है, जिस पर सूरजदीन व सुरेश कुमार द्विवेदी पूर्व से परिचित थे व एक दूसरे पर भरोसा करते थे तब सुरेश कुमार द्विवेदी ने सूरजदीन के नाम से गैस एजेंसी प्राप्त कर अपना पैसा लगाकर गैस एजेंसी का संचालन शुरू किया था और गैस एजेंसी का नाम भी सुरेश कुमार द्विवेदी ने अपने बेटे आशीष कुमार द्विवेदी के नाम पर रखा था। उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा मात्र मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर एवं चेक बाउन्स का पैसा न देने पड़े, इसलिए यह मुकदमा संस्थित किया गया है। परिवाद पत्र में ऐसे तथ्यों का उल्लेख कर देने से, जिनसे कोई अपराध बनता है, न्यायालय किसी को तलब कर कार्यवाही नहीं करता, बल्कि न्यायालय को यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वास्तविक तथ्य क्या है? यद्यपि इस स्तर पर मामले की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वादी मुकदमा द्वारा जो भी अभिकथन किये गये हो, अथवा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो, उसकी सूक्ष्म संवीक्षा करनी होती है। न्यायालय को यह भी देखना होता है कि न्यायिक प्रक्रिया को किसी के उत्पीड़न का आधार नहीं बनाया जा सकता।

विधि व्यवस्था गयासुद्दीन बनाम स्टेट आफ यू0पी0 ए0सी0सी0 2013(80) पेज 101, दिपील कुमार मिश्रा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 ए0सी0सी0 2013(80) पेज 870 के प्रस्तर 20 एवं विधि व्यवस्था करन सिंह बनाम स्टेट आफ एम0पी0 1992 सी0आर0एल0जे0 पेज 3054 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी अवलोकन किया गया।

विधि व्यवस्था गयासुद्दीन बनाम स्टेट आफ यू0पी0 उपरोक्त में यह अवधारित किया गया है कि यदि न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र दुराशय से एवं कानून के दुरुपयोग करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है, तब यद्यपि कि प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों से संज्ञेय अपराध का गठन होता हो, तब भी न्यायालय प्रार्थनापत्र निरस्त कर सकती है। इसी सिद्धान्त को उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं में भी प्रतिपादित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था बिरला कारपोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेन्ट्ज इन्वेस्टमेंट 2019(2) सी0सी0एस0सी0 पेज 1640 में भी यही सिद्धान्त पुनः प्रतिपादित किया गया है और अवधारित किया गया है कि दाण्डिक कार्यवाही को उत्पीड़न का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। परिवादी एवं विपक्षी के मध्य पैसे का लेन-देन का विवाद है। परिवादी की ओर से अपने समर्थन में जमा शुल्क से सम्बन्धित प्रपत्रों प्रस्तुत किये गये हैं किन्तु उसके द्वारा बैंक का स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षी द्वारा पैसे के लेन-देन में कूटरचना की गयी है। इस प्रकार किसी को तलब करने का कोई आधार नहीं है, तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी वाद संख्या 189/2023, सूरजदीन पासी बनाम सुरेश कुमार धारा 203 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।"

11. Assailing the order dated 03.05.2024, it is stated that the trial court has not considered the contents of the protest petition and the statements recorded in terms of Sections 200 and 202 Cr.P.C., in its true spirit. Accordingly, the order impugned is liable to be interfered and the case should be remanded back for a fresh decision.

12. At this stage, taking note of the specific averments, regarding investment made by the opposite party no.2 in Gas Agency of appellant, made in para-1 of the complaint case instituted by opposite party no.2 under Section 138 of N.I.Act, this Court put a question to learned Counsel for the appellant that as to whether the same has been refuted and in response, he could not place before

this Court any document or paragraph where from it can be inferred that the averments made in the said paragraph have been denied.

13. Learned A.G.A. opposed the present appeal. He stated that the present appeal is liable to be dismissed at the admission stage. To support his submission, learned A.G.A. further submitted that it appears from the record that after notice dated 05.07.2019 sent by opposite party no.2 for instituting a case under Section 138 of N.I.Act, the FIR was lodged, accordingly the FIR itself was/is nothing but abuse of process of law and taking note of the entire facts related to relationship between the appellant and opposite party no.2, the Investigating Officer submitted the final report before the trial court. Accordingly the order passed by the trial court is not liable to be interfered.

14. Further contention is that the appellant himself has admitted before the trial court while recording his statement in terms of Section 200 Cr.P.C. that there is a financial dispute between the appellant and opposite party no.2, as the appellant before the trial court stated that "सन् 2019 में मेरे व सुरेश कुमार के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ" and this statement was taken note of by the trial court for rejecting the application vide order dated 03.05.2024.

15. It is also stated that to support the allegations levelled in the protest petition, the appellant intentionally with-held the material evidence such as statement of Bank Account and the documents to show his financial status in the year 2003, when the Gas Agency was allotted to the appellant, and as such, adverse inference should be drawn against the appellant as it is settled principle of law that whosoever with-held the best piece of evidence available then against

him, an adverse inference should be drawn. Accordingly, no interference is required in the matter.

16. Considered the aforesaid and perused the records.

17. Upon due consideration, this Court finds that the trial court while passing the order dated 03.05.2024 has not committed any illegality. It is for following facts and reasons:-

(i) The cheque no.297701 was bounce on 03.07.2019 and thereafter the notice dated 05.07.2019 was given by the opposite party no.2 for the purposes to institute a case in terms of Section 138 of N.I.Act and thereafter the FIR was lodged by preferring an application dated 12.07.2019 upon which on 13.07.2019 court passed the order and FIR was lodged on 14.10.2019.

(ii) In view of aforesaid, this Court is of the view that to avoid the proceedings and to create pressure upon opposite party no.2, in connection with the proceeding/case instituted under Section 138 of the N.I.Act, the FIR was lodged, which was/is nothing but an abuse of process of law.

(iii) The opposite party no.2 had invested some amount in Gas Agency and there exists financial dispute between the parties, which can be inferred from the following facts:-

(a) Name and style of the concern namely Ashish Gas Agency and the fact that Ashish is the name of the son of opposite party no.2, as appears from the impugned order dated 03.05.2024, which has not been refuted.

(b) The appellant to establish/show his financial status in the year 2003 has not brought any document on record.

(c) The appellant has not refuted the specific averments regarding investing huge amount in the Gas Agency made by

the opposite party no.2 in paragraph no.1 of the complaint case under N.I. Act.

(iv) Admittedly, as appears from the statement of the appellant, there exists some financial dispute between the appellant and opposite party no.2, and accordingly this Court finds that to a dispute essentially of civil nature appellant wants to cloak criminal offence.

18. For the forgoing reasons, the appeal is ***dismissed***. No order as to costs.

Order Date :- 30.05.2024/Jyoti/-